न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
74/2017 प्रा.पत्र/2017	27.09.2017	17.04.2026
जीसीएमएस नं0 185/2017		

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी फुलवारी की गली वार्ड नं. 14 उनियारा जिला टोंक मैसर्स राहुल एजेन्सी सदर बाजार उनियारा जिला टोंक राज.।

2—मैसर्स राहुल एजेन्सी सदर बाजार उनियारा जिला टोंक राज.।

3—श्री राहुल श्रीवास्तव नॉमिनी मैसर्स नमस्ते इण्डिया फूड्स प्रा. लि. दुकान नं. 19—21 श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने रोड नं. 14, वीकेआई एरिया जयपुर।

4—मैसर्स नमस्ते इण्डिया फूड्स प्रा. लि. दुकान नं. 19—21 श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने रोड नं. 14, वीकेआई एरिया जयपुर।

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री उमाशंकर शर्मा उप.।

:—<u>निर्णय</u>—: दिनांक 17/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.06.2017 को समय 12:10 पी.एम. पर मैसर्स राहुल एजेन्सी सदर बाजार उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के कार्टून में 500 ग्राम पैक के लगभग 150 सीलपैक्ड पैक्ड अवस्था में घी (**नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड**) रखा हुआ था, जिसे

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 405 एन.पी. एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी–17 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500 ग्राम पैक के चार पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड)** 500 ग्राम पैक के चार पैकेट के एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1692 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1692 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य कारोबारकर्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी नमस्ते इण्डिया फूड्स प्रा. लि. दुकान नं. 19–21 श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने रोड नं. 14, वीकेआई एरिया जयपुर का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. पीएसआई/4010/1617/001040 दिनांक 20.02.2017 प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/17/3771 दिनांक 28.07.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/486/एक्ट/2017/486 दिनांक 10.07.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i) एवं 3(1)(zf)(B)(ii) के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ घी खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करता है और यह सभी गुंणों से भरपूर है। इसी कारण घी सर्वगुण सम्पन्न का वैज्ञानिक व कानूनी न्यायपूर्ण रूप से गारण्टी देता है। उक्त घी के लिए किए गए जांच में सभी test में result निर्धारित परास में ही प्राप्त हुए हैं। उक्त घी किसी भी मानक का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में सर्वगुण सम्पन्न अंकित होना दोष नहीं बनता है। अभिभाषक ने अपने जवाब में अंकित किया हैं कि –There is not even an iota of material placed on record of the case which may indicate as to how and why the statement "SARV GUN SAMPANN" is false or misleading in spite of the fact that it conforms to the statutory standards of quality laid under the law i.e. FS&S Act, 2006, hence is consisting of all qualitities of Ghee. The opinion of the reported by the Food Analyst is his own subjective presumption and arbitrary assumption. साथ ही अभिभाषक ने यह भी अंकित किया कि उक्त "सर्वगुण सम्पन्न" के बारे में किसी भी तरह की public complaint भी नहीं हुई है। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जो किसी मानक के उल्लंघन को बताये, इन परिस्थितियों में अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमम 2006 के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे के निरस्त किया जावें। अभिभाषक ने अपने कथनों की पुष्टि में ADM BARMER के प्रकरण उनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम अनिल कुमार, निर्णय दिनांक 19.06.2014, ADM ALWAR के सरकार बनाम सुनील कुमार में दिए गए निर्णय दिनांक 04.06.2015 तथा Bombay High court judgment Agro industries latur vs FSSAI तथा hon'ble Supreme Court of India के Hope Plantation Ltd Vs Taluk Land Board [(1999)5Supreme Court Cases 590] तथा Daryao Vs State of U.P. [(1962)Supreme Court Reports 574] संबंधित निर्णयों की प्रतियां पेश की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड) मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त घी के लेबल पर सर्वगुण सम्पन्न अंकित है जो कि भ्रामक एवं कपटपूर्ण है। इससे इसकी प्रकृति के बारे में किसी प्रकार की गलत प्रभाव पैदा होने की संभावना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 2.2.2(3) व 2.3.1(5) के अनुसार पैकिंग किए गए खाद्य पदार्थ के लेबल पर ऐसी भ्रामक सूचना अंकित नहीं की जा सकती है। It is contravention of regulation No. 2.2.2(3) **and** 2.3.1(5) of Food Safety and Standards (packaging and labelling) Regulations, 2011. इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया घी (नमस्ते इण्डिया सर्वगुण सम्पन्न ब्राण्ड) के लेबल पर सर्वगुण सम्पन्न अंकित है जिसे प्रार्थी ने भ्रामक एवं कपटपूर्ण बताया है तथा अंकित किया हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 2.2.2(3) व 2.3.1(5) के अनुसार पैकिंग किए गए खाद्य पदार्थ के लेबल पर ऐसी भ्रामक सूचना अंकित नहीं की जा सकती है। It is contravention of regulation No. 2.2.2(3) **and** 2.3.1(5) of Food Safety and Standards (packaging and labelling) Regulations, 2011. परन्तु लैब रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि है उक्त घी के लिए किए गए जांच में सभी test में result निर्धारित परास में ही प्राप्त हुए हैं। उक्त घी किसी भी मानक का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में सर्वगुण सम्पन्न अंकित होना दोष नहीं बनता है। प्रार्थी ने लेबल पर सर्वगुण सम्पन्न अंकित होने के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है परन्तु प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि उक्त अंकन किस प्रकार भ्रामक है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज परिवाद के साथ में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि यह घी किसी विशेष मानक को पूरा नहीं करने के कारण मिथ्याछाप स्तर का है। There are already six identical judgements passed by different Adjudication officers (ADMs) of the state of Rajasthan holdig that the tagling "SERV GUN SAMPANN DESI GHEE" on the packaging of Ghee manufactured by NIF Pvt. Ltd is not 'Misbranding' and the state of Rajasthan has not opposed the said judgments which have attained fanality. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निर्णयों के अवलोकन से भी यह ज्ञात होता हैं कि सर्वगुण सम्पन्न को भ्रामक नहीं माना गया है। अतः लिया गया नमूना मिथ्याछाप का होना साबित नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 200 व विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज.